28/5/19 पत्रावली पेश हुई। वादी व इनका वकील उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं। (वादी) व इनके वकील की अनुपस्थिति में वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार होकर अभिलेखागार में जमा हो तथा बाद तकमील [illegible] दाखिल हो।